



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 31499 वर्ष 2025

जुगेंद्र सिंह

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता: जितेंद्र सिंह, सुकेश कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेंद्र सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की तर्क सुने और वाद के अभिलेख का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत यह वर्तमान जमानत याचिका आवेदक जुगेंद्र सिंह की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें पुलिस थाना वजीरगंज, जिला बदायूं में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 239/2025, अंतर्गत धारा 8/18 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 1.963 ग्राम अफीम आवेदक के कब्जे से बरामद होने का आरोप है। बरामद की गई मात्रा व्यावसायिक मात्रा से कम है। वास्तव में, आवेदक से ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह भी कहा गया है कि चूंकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसके झूठे फँसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न और पीड़ित करने के उद्देश्य से इस अपराध में झूठा फँसाया गया है। आवेदक, जो 24.06.2025 से कारावास में है और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसका एक आपराधिक इतिहास है, एक वाद में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है, उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति में शामिल आवेदक की निर्दोषता का निर्णय मुकदमे से पहले के चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो जाएगा।

वाद के तथ्यों पर विचार करते हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, अभियोगों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्यों की प्रकृति, दोषसिद्धि से मिलने वाली सजा की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक का चरित्र, अभियुक्त से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियाँ, मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य का व्यापक हित और अन्य परिस्थितियाँ, लेकिन वाद की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध से संबंधित आवेदक-धर्मेन्द्र को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए:

1. आवेदक अन्वेषण या मुकदमे के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

13 जनवरी, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।